| |
|---|
| दिनांक 19.06.2024 |
| प्रेस विज्ञप्ति 23/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मेटा कम्पनी के सहयोग से 01 जनवरी 2023 से 15 जून 2024 के मध्य सोशल मीडिया पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट करने वाले 457 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की गयी।**

सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट की जानकारी मेटा कम्पनी के सहयोग प्राप्त कर, ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 जनवरी 2023 से 15 जून 2024 तक की अवधि में कुल 457 प्रकरणों में प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़ित एवं उसके परिजन से वार्ता कर 457 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की गयी।

इस व्यवस्था के तहत फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने से सम्बन्धित पोस्ट किया जाता है, तो मेटा कम्पनी के मुख्यालय द्वारा पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर को तत्काल फोन एवं ई–मेल के माध्यम से अलर्ट प्रेषित किया जाता है।

मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेन्टर में मेटा कम्पनी से प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही हेतु अलग से डेस्क 24X7 कार्यरत है। उक्त डेस्क से यूपी एसटीएफ के सर्वर का इन्टीग्रेशन किया गया है जिसकी मदद से ऐसी पोस्ट करने वाले की तत्काल लोकेशन ज्ञात कर यूपी–112 के साथ–साथ सम्बन्धित जनपद को भी त्वरित कार्यवाही हेतु प्रकरण अग्रसारित किया जाता है। मुख्यालय द्वारा पीड़ित के मोबाइल की उपलब्ध करायी गयी लोकेशन पर यूपी–112 की पीआरवी/स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंच कर पीड़ित एवं उसके परिजनों से सम्पर्क किया जाता है।

माह 01 जनवरी 2023 से 15 जून 2024 तक की अवधि में मेटा कंपनी से लगभग 740 अलर्ट प्राप्त हुए, जिनमें से 457 लोगों के प्राणों की रक्षा की गयी है। शेष प्रकरणों में मेटा द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के आधार पर लोकेशन ज्ञात नहीं हो पाने, प्रकरण अन्य राज्य का होने के साथ–साथ कई ऐसे प्रकरण भी रहे जिनमे प्राप्त लोकेशन अस्पष्ट/घनी बस्ती मे होने व फोन स्विच ऑफ होने के कारण स्थानीय पुलिस, पीड़ित तक नहीं पहुँच पायी।

**विगत 06 माह मे प्राप्त आत्महत्या सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रकरण –**

1–दिनांक 12.06.2024 को जनपद मेरठ निवासी असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की गयी जिसमें उनके द्वारा रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या किये जाने की बात कही जा रही थी। उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वाले व्यक्ति की लोकेशन की जानकारी कर जनपद मेरठ को सम्बन्धित प्रोफेसर की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर जनपद मेरठ की स्थानीय पुलिस एवं राजकीय रेलवे पुलिस के सहयोग से पीड़ित को रेलवे ट्रैक से सकुशल बरामद किया गया एवं चौकी प्रभारी द्वारा प्रोफेसर की काउंसलिंग करते हुए उनसे वार्ता की गई, असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा बताया गया कि वह अपनी पत्नी एवं ससुरालीजनों से नाराज होकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन चला गया था एवं क्रोधवश उक्त वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया गया था। चौकी प्रभारी द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त युवक द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

2–दिनांक 11.06.2024 को कमिश्नरेट वाराणसी निवासी 19 वर्षीय बी–काम फर्स्ट ईयर के छात्र द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट की गयी । उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वाले व्यक्ति की लोकेशन की जानकारी कर कमिश्नरेट वाराणसी को सम्बन्धित छात्र की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर कमिश्नरेट वाराणसी की स्थानीय पुलिस के उ0नि0 द्वारा पीड़ित से सम्पर्क कर उसकी काउंसलिंग करते हुए उससे वार्ता की गयी, छात्र द्वारा बताया गया कि उसके माता पिता द्वारा मोबाइल का प्रयोग कम करने एवं पढ़ाई लिखाई करने हेतु डांटा गया था, जिससे क्षुब्ध होकर छात्र द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट की गयी थी। स्थानीय थाने के उ0नि0 द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त छात्र द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

3–दिनांक 26.03.2024 को जनपद सोनभद्र निवासी 15 वर्षीय छात्र द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट की गयी । उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वाले छात्र के लोकेशन की जानकारी कर जनपद सोनभद्र को सम्बन्धित छात्र की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर जनपद सोनभद्र की स्थानीय पुलिस के उ0नि0 द्वारा पीड़ित से सम्पर्क कर उसकी काउंसलिंग करते हुए उससे वार्ता की गयी । काउंसलिंग के दौरान छात्र द्वारा बताया गया कि उसकी एक लड़की से दोस्ती है जिससे वह बात किया करता था उस लड़की से विवाद हो जाने पर क्रोधवश भावावेश में आकर मेरे द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट कर दी गयी थी। स्थानीय थाने के उ0नि0 द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त छात्र द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

4–दिनांक 07.01.2024 को कमिश्नरेट लखनऊ निवासी 20 वर्षीय दुग्ध व्यवसायी द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट की गयी । उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वालो व्यक्ति की लोकेशन की जानकारी कर कमिश्नरेट लखनऊ को सम्बन्धित व्यक्ति की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर कमिश्नरेट लखनऊ की स्थानीय पुलिस के उ0नि0 द्वारा पीड़ित से सम्पर्क कर उसकी काउंसलिंग करते हुए उससे वार्ता की गयी । काउंसलिंग के दौरान व्यक्ति द्वारा बताया गया कि अपने दुग्ध विक्रय करने के व्यवसाय से अधिक लाभ नही होने के कारण आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट कर दी गयी थी। स्थानीय थाने के उ0नि0 द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त दुग्ध व्यवसायी द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

5–दिनांक 04.01.2024 को जनपद बरेली निवासी 19 वर्षीय बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट की गयी । उक्त संबंध में मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में

उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर पोस्ट किये जाने वाली छात्रा के लोकेशन की जानकारी कर जनपद बरेली को सम्बन्धित छात्रा की लोकेशन प्रेषित की गई। मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई लोकेशन के आधार पर जनपद बरेली की स्थानीय पुलिस के उ0नि0 एवं महिला आरक्षी द्वारा पीड़िता से सम्पर्क कर उसकी काउंसलिंग करते हुए उससे वार्ता की गयी । काउंसलिंग के दौरान छात्रा द्वारा बताया गया कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर बहुत कम फालोवर्स है फालोवर बढ़ाने के उद्देश्य से मेरे द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट कर दी गयी थी। स्थानीय थाने के उ0नि0 एवं महिला आरक्षी द्वारा की गयी काउंसलिंग के उपरांत उक्त छात्रा द्वारा भविष्य में इस प्रकार की पोस्ट नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

## Suicidal Case Details
## 01 January 2023 - 15.06.2024

| Total Cases | Sex & Age Details of Victims | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sex | | Age Group | | | |
| | M | F | 13-18 | 19-25 | 26-35 | 36-Above |
| 457 | 353 | 104 | 176 | 203 | 50 | 28 |

| Year-wise Breakup | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total Cases | Sex & Age Details of Victims | | | | | |
| | | Sex | | Age Group | | | |
| | | M | F | 13-18 | 19-25 | 26-35 | 36-Above |
| 2023 | 336 | 255 | 81 | 125 | 152 | 36 | 23 |
| 2024 (15.06.2024) | 121 | 98 | 23 | 51 | 51 | 14 | 5 |
| Grand Total | 457 | 353 | 104 | 176 | 203 | 50 | 28 |

## पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से फिल्म अभिनेता की शिष्टाचार भेंट

**श्री प्रशान्त कुमार** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांक 19.06.2024 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में हिन्दी फिल्म अभिनेता श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी।

शिष्टाचार भेंट के दौरान फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उ0प्र0 पुलिस द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यो एवं नवाचारों की प्रशंसा करते हुए अपनी आगामी फिल्म में निभायी गयी पुलिस अधिकारी की भूमिका के अनुभव साझा किये गये। इस अवसर पर रेडियो मिर्ची की टीम भी उपस्थित रही।

## जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुटार

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 19.06.2024 को थाना खुटार व थाना पुवाया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चमराबोझी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बिलाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुटार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुटार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–बिलाल निवासी ग्राम जादमपुर कला थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर, हालपता ग्राम बरकलीगंज थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

## जनपद बलरामपुर/थाना कोतवाली देहात

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 84 हजार 600 रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में 01 सफारी वाहन, 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.06.2024 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सिरसिया के पास से अभियुक्त 1–रोहित कुमार 2–किशन 3–विपिन 4–रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 5–जितेन्द्र कुमार 6–सत्येन्द्र उर्फ मनीष को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 84 हजार 600 रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, घटना में 01 सफारी वाहन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.06.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रोहित कुमार निवासी मेजर चौराहा कालीथान थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर हालपता ग्राम सिरसिया थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।

2–किशन निवासी मदपुर पकड़ी थाना गौरा चौराहा बलरामपुर, हालपता ग्राम सिरसिया थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।

3–विपिन निवासी कोईलिहा थाना कोतवाली देहात बलरामपुर, हालपता ग्राम सिरसिया थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।

4–रवि निवासी राउतटीला मुस्तहकम थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर, हालपता ग्राम सिरसिया थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।
5–जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गुरचाही थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।
6–सत्येन्द्र उर्फ मनीष निवासी भैसहवा डीह थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।

**बरामदगी**

1–लूट के 84 हजार 600 रूपये नगद।
2–लूट का 01 मोबाइल फोन।
3–घटना में 01 सफारी वाहन, 01 मोटर साइकिल।

## कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **लूट के 2700 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 18.06.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहजादपुर चौराहा बम्बा बैरियार के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में उ0नि0 घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–फैसल 2–रिहान घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, लूट के 2700 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त फैसल के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास,

लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त रिहान के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–फैसल निवासी कोट मोहल्ला थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–रिहान निवासी मलिकनगर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

**बरामदगी**

1–लूट के सोने के आभूषण।

2–लूट के 2700 रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

- **जनपद इटावा/थाना बलरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बलरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरकेश को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————